Order Sheet [Contd]

Case No. ST. 05/23 of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
04-07-2023	राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री नारायण जाधव उपस्थित। अभियुक्त **दिनेश** व **विमला** सहित अधिवक्ता श्री जितेन्द्र चौहान उपस्थित। प्रकरण प्रस्तुत आदेश के संबंध मे आगामी कार्यवाही हेतु नियत है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष एम. सी. आर. सी. नम्बर **46563/2022** (श्रीमती विमला पति उदयसिंह अन्य 01 विरूद्ध म. प्र. शासन) पारित आदेश में अपराध कमांक 554/2022 तथा प्रथम सुचना रिपोर्ट दिनांक 18-07-2022 उल्लेखित है, किन्तु आदेश में आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण के स्थान पर आरक्षी केन्द्र अंजड लिखा गया था उक्त संबंध में थाना प्रभारी अंजड को स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र लेखबद्ध किया गया था। थाना प्रभारी अंजड से अपराध कमांक 554/2022 की प्रथम सुचना रिपोर्ट के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन के अवलोकन से थाना अंजड के अपराध कमांक 554/2022 में आरोपी दिनेश पिता छेण्डिया जाधव आयु 32 वर्ष निवासी दुधखेडा थाना वरला जिला बडवानी म. प्र. एवं श्रीमती विमला पति उदयसिंह चौहान आयु 44 वर्ष निवासी गंगा नगर मोहल्ला सरस्वती कालोनी बलवाडी थाना वरला जिला बडवानी म. प्र. के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध न होकर उक्त अपराध कमांक 554/2022 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट में आरोपी नवलसिंह पिता मोहन मानकर निवासी ग्राम बावडिया के विरूद्ध पंजीबद्ध होना गया है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के एम. सी. आर. सी. नम्बर **46563/2022** (श्रीमती विमला पति उदयसिंह अन्य 01 विरूद्ध म. प्र. शासन) आदेश दिनांक 12-06-2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष एम. सी. आर. सी. नम्बर **46563/2022** (श्रीमती विमला पति उदयसिंह अन्य 01 विरूद्ध म. प्र. शासन) अंतर्गत धारा **482 दप्रसं** की प्रथम सुचना रिपोर्ट खारिज करने हेतु प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा दिनांक 12-06-2023 को आरोपीगण की याचिका स्वीकार कर सदर प्रकरण में प्रथम सुचना	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
	रिपोर्ट को खारिज करने एवं उससे संबधित प्रोसीडिंग खारिज करने का आदेश पारित किया गया है।

सत्र प्रकरण क्रमांक 05/2023 प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 554/2022 धारा 305,306,34 भादवि का अपराध पंजीवद्ध किया गया था।

विवेचना के उपरांत दिनांक 19–07–2022 को आरोपीगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण अपराध क्रमांक 554/2022 धारा 305,306,34 भादविं के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायिक मजि. के द्वारा कमिटल के पश्चात् दिनांक 03–01–2023 को प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ था। आदेश दिनांक 11–01–203 के अनुसार माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बडवानी के द्वारा विधिवत निराकरण हेतु प्रथम अपर सत्र न्यायालय को अंतरित किया गया, जो सत्र प्रकरण क्रमांक 05/2023 पर दर्ज किया गया था तथा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी के विविध आदेश क्रमांक/27/एस.डब्ल्यु./एक–26–01/05–22 बडवानी दिनांक 11.05.2023 के आदेशानुसार प्रकरण इस न्यायालय को विधिवत निराकरण हेतु प्राप्त हुआ था।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के एम. सी. आर. सी. नम्बर **46563/2022** (श्रीमती विमला पति उदयसिंह अन्य 01 विरूद्ध म. प्र. शासन) आदेश दिनांक 12–06–2023 अनुसार आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण पर अपराध क्रमांक 554/2022 धारा 305,306,34 भादविं के अपराध की प्रथम सुचना रिपोर्ट को खारिज (**Quashed**) कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण मे आरोपी दिनेश व विमला के विरूद्ध कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में अभियुक्त **दिनेश पिता छेण्डिया जाधव** एवं अभियुक्त **विमला पति उदयसिंह चौहान** को आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण अपराध क्रमांक 554/2022 धारा 305,306,34 भादविं में उन्मुक्त किया जाता है, आरोपीगण के मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, प्रकरण को संबंधित पंजी से कम कर विधिवत्, समयावधि में अभिलेखागार में जमा करवाया जावे।

(रूपेश नाईक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
सेंधवा,जिला–बड़वानी (म.प्र.)

Noted
04/07/2023